

9

जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर
(अति अल्पकालिन निविदा)

जिला नवाचार योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिले के नगर परिषद (टाउन हॉल) में स्टील परफोटेड चेयर तीन सीट वाला (Three Seater Chair) With Arm. का क्रय कर अधिष्ठापित कराया जाना है। जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

सभी कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 10.02.2014 को 3:30 बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 10.02.2014 को 4:00 बजे अपराहन में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्र०	सामग्री का नाम	विशिष्टीकरण	कुल
01	स्टील परफोटेड चेयर (Three Seater Chair) With Arm.	सीट साईज-54.0 cm x (W) 46. cm (W) बैक साईज -54.0 cm x (W) 180. cm (H) Over all Size of three Seater will be 180 cm (Approx) आर्म साईज-35 mm x 15 mm x 1.6 mm Thick & Dia 15 mm Bright bar Welded To Seat & Back Frame. Seat & Back Will be made of 18 BG Thick CR Steel perforated Sheets.	102
	कुल		102

निविदा की शर्तें

- निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखें जायेंगे।
 - जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से मो० ₹ 10,000/- (दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एस०बी०आई०, ए०डी०बी० शाखा, समस्तीपुर में भुगतये होगा।
 - बिक्रीकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भुगतान संबंधी स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - आयकर रिटर्न 2012-13 का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
 - पैन सं० की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
 - निविदादाताओं को शपथ पत्र देना होगा कि वो काली सूची में कभी भी नहीं लाए गए है।
 - वर्णित कार्यों में अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
 - कोटेशन प्राप्ति के दिन सरकारी अवकाश घोषित होने पर अगले कार्य दिवस में नियत समय तक निविदा प्राप्त की जाएगी।
 - सामानों का लिफलेट संलग्न करना अनिवार्य है।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

अन्य शर्तें

- स्वीकृत निविदादाता को सुसंगत शर्तों के अनुरूप एकरारनामा दाखिल करना होगा।
 - कार्यहित एवं सुविधा के दृष्टिकोण से न्यूनतम दर पर उक्त कार्यों को एक से अधिक निविदादाता को भी आवंटित किया जा सकता है।
 - आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी।
 - किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
 - सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता मांग एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जाएगी।
 - अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को मांग आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- अनुलग्नक-सूची 5 प्रति में (सी०डी० सहित)।

30/1/14
जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर